उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर।

सं. एनडब्ल्यूआर–एचक्यू0ओपीटीजी(संवनि)/6/2021 दिनांक 10.02.2025

वरि. मण्डल परिचालन प्रबन्धक – अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर

विषयः सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारियों द्वारा केबिन बेसमेंट/रिले रूम खोलना

परिचालन संरक्षा परिपत्र संख्या–2

जब भी कभी रखरखाव/खराबी दूर करने आदि के लिए केबिन बेसमेंट/रिले रूम को खोलने की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगीः–

1. सभी स्टेशनों पर केबिन बेसमेंट/रिले रूम में दोहरी ताले की व्यवस्था होनी चाहिए। इनमें वे स्टेशन भी शामिल हैं जहाँ पर सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारी चौबीसों घंटे तैनात रहते हैं।

   ताले की एक चाबी ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर की अभिरक्षा में रहनी चाहिए और दूसरी चाबी सिगनल एवं दूर–संचार अनुरक्षण कर्मचारी के पास रखी जाएगी। जब कभी जरूरत पड़ने पर स्टेशन मास्टर की अभिरक्षा में रखी चाबी, एस. एण्ड टी. अनुरक्षण कर्मचारी को दी जाएगी तब चाबियों का लेन–देन स्टेशन पर उपलब्ध केबिन बेसमेंट/रिले रूम रजिस्टर में रिकार्ड किया जाना चाहिए और प्रविष्टियों पर संबंधित एस. एण्ड टी. अनुरक्षण कर्मचारी और स्टेशन मास्टर दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रत्येक स्थान की चाबी पहचान के लिए समुचित लेबल लगाकर अकेली रखी जायेगी। सभी चाबियॉ एक गुच्छे में नहीं रखी जानी चाहिए।

   रिले रूम का दरवाजा खोलने को प्रोग्रेसिवली डाटा लॉगर से लिंक किया जायेगा।

2. केबिन बेसमेंट की चाबियॉ देने के पहले ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर संबंधित केबिनों को प्राइवेट नम्बरों का आदान–प्रदान करके सूचित करेगा। इस संबंध में प्रविष्टियॉ ट्रेन सिगनल रजिस्टर/ केबिन बेसमेंट रजिस्टर और केबिन लॉक बुकों में की जायेगी।

3. एस. एण्ड टी. कर्मचारी द्वारा स्टेशन मास्टर के ताले की चाबी वापस करने पर ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से या संबंधित केबिन से सम्पर्क करके यह सुनिश्चित करेगा कि केबिन बेसमेंट/रिले रूम का ठीक ढंग से ताला बन्द है। केबिन बेसमेंटों के लिए स्टेशन मास्टर संबंधित केबिनमैन/स्विचमैन को प्राइवेट नम्बरों का आदान–प्रदान करके यह सुनिश्चित करेगा।

4. इस अवधि के दौरान जब केबिन बेसमेंट/रिले रूम की चाबी सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारी के पास हो तब स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के मूवमेंट के संबंध में एस. एण्ड टी. कर्मचारियों को पहले से सचेत कर देना चाहिए।

5. केबिन बेसमेंट/रिले रूम में अनुरक्षण कार्य/निरीक्षण आदि करते समय एस. एण्ड टी. कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कोई असुरक्षित तरीका तो नहीं अपनाया जा रहा है।

6. जब भी कभी सिगनल/एस. एण्ड टी. गियर खराब होने पर केबिन बेसमेंट/रिले रूम की चाबी एस. एण्ड टी. कर्मचारी को सौंपी जाये तो स्टेशन मास्टर को अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिये और एस. एण्ड टी. गियर खराब होने पर पहली गाड़ी को अनिवार्य रूप से "ऑन या खराब हालत में सिगनल को पास करने के प्राधिकार" पर भेजना/रिसीव करना चाहिये तथा सिगनल कॉटों की विफलता के समय गाड़ी को भेजने/रिसीव करने के लिए निर्धारित किये गए नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। गाड़ी भेजने/रिसीव करने के दौरान यदि किसी गाड़ी का संचालन "ऑन या खराब हालत में सिगनल को पास करने के प्राधिकार" के अधीन है तो चाहे एस. एण्ड टी. कर्मचारी का कार्य पूरा हो गया हो और चाबियॉ वापस सौंप दी गई हो तो भी संचालन प्रविधि के अनुसार ही पूरा किया जाना चाहिए। सामान्य प्रक्रिया अनुवर्ती गाड़ियों के संचालन के लिए ही अपनायी जानी चाहिए।

7. निरीक्षण के समय निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को यह जॉच करनी चाहिए कि इन नियमों का फील्ड कर्मचारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

नोटः– उ.प.रे. की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक में वर्णित सहायक नियम 14.03(4) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये एवं शंका होने पर अंग्रेजी संदर्भ देखें।

उप मुख्य परिचालन प्रबन्धक (सं. व नि.)
Digitally Signed by Gopal
Krishna Sharma
Date: 14-02-2025 10:33:45
Reason: Approved